न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा

मु.नं. 77/2019

किलाण पुत्र हरगोविन्द जाति मीना निवासी खोहरा तहसील महवा।

– प्रार्थी

बनाम

1.रामचरण पुत्र मुला जाति मीना निवासी खोहरा पटवारी हल्का गहनोली तहसील महवा जिला दौसा।
2.तहसीलदार, महवा जिला दौसा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बावत् पैमायश के तहत सीमा चिन्ह

निर्णय **दिनांक: 29.05.2024**

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खोहरा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 389 रकबा 0.49 हैक्टर, 39 रकबा 0.64 व 397 रकबा 0.30 कुल किता 3 कुल रकबा 1.43 हैक्टर का प्राथी खातेदार टीनेन्ट कब्जा काश्त आराजियात है। उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी रामचरण पुत्र मूल्या की खातेदारी खसरा नम्बर 368, 378, 379, 386, 387, 388, 391, 392, 393, 395, 396 कुल किता 11 कुल रकबा 3. 26 हैक्टर वाके ग्राम खोहरा तहसील महवा स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के खेतों की सीमाऐं डोल मोड से महदूद है जिसे अप्रार्थी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गयी है को फावडा व ट्रेक्टर से नष्ट करता रहता है। अप्रार्थी ने डोल काटकर अपनी सीमा में मिला लिया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि भाईयों आप डोलमेड क्यों तोडते रहते हो। दिनांक 30.04.2019 को प्रार्थी की पत्नि खेतों पर गई तो मरने मारने पर उतारु हो गये। बाजरा की बुबाई के समय भी प्रार्थी की आराजी की सीमाऐं पुनः नष्ट की। यदि उक्त आराजी के मध्य सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये गये तो जन हानि की संभावना पैदा हो जावेगी। अप्रार्थी द्वारा सरकारी कर्मचारियों से पैमाईश से इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी के मध्य सीमाचिन्ह अंकित कराना फरमायें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलव किया गया। अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित आये एवं अप्रार्थी सं. 2 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं हुए।

CamScanner

इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर आपत्ति दर्ज कराई गई कि यह प्रार्थना पत्र झूठा पेश किया गया है। साथ ही यह भी अंकित किया है कि हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड की स्थिति व मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाकर पुनः तहसीलदार महवा से पैमाईश रिपोर्ट मंगवाई जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वहस के दौरान उभय पक्ष ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमि के मध्य सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने को सहमत है। इसलिये प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्व भूराजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज. भूराजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम खोहरा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 389 रकबा 0.49 हैक्टर, 390 रकबा 0.64 व 397 रकबा 0.30 कुल किता 3 कुल रकबा 1.43 हैक्टर का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार महवा टीम गठित करें एवं टीम गठित करने से पूर्व खातेदारान को दिनांक व समय बावत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे। पर्चा मौका तैयार कर उपस्थित खातेदारान के हस्ताक्षर करवायसे जावे। उक्त आश्य की तहरीर तहसीलदार महवा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा